(20)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R. 5054-दो/17

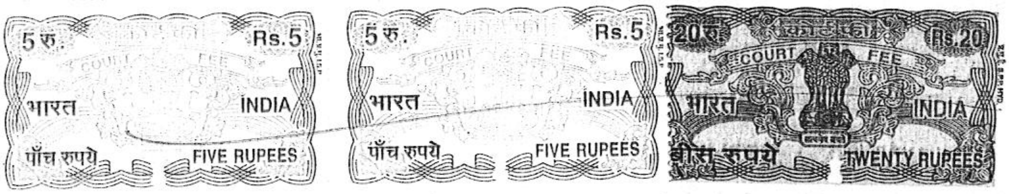

RS. 30/-

राजमणि सिंह तनय रामखेलावन सिंह निवासी ग्राम डुड़हा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 **---आवेदक/निगरानीकर्ता**

बिरुद्ध

म0प्र0 शासन **----अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता**

अधि० श्री [illegible] द्विवेदी
प्र० द्वारा पेश 14-2-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार रामपुर बाघेलान द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ-12/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 20.09.16 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 .

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि प्रकिया एवं प्रकरण मे आए तथ्यों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।
2. यह कि आवेदक भूमि नम्बर 236/2, 237/2, 238/2 रकवा कमशः 0.016हे0, 0.121हे0, 0.118हे0 स्थित ग्राम डुड़हा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 का भूमिस्वामी एवं स्वत्वधारी है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र०**R.5054–II**/17 जिला–सतना

राजमणि सिंह / म०प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	